राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

सचिव,
राजस्थान लोक सेवा आयोग,
अजमेर।

सचिव,
राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड,
जयपुर।

क्रमांकः– 17(9)कार्मिक/क–2/15 पार्ट जयपुर, दिनांक 17 MAY 2018

विषयः–वर्तमान लंबित भर्तियों में भरतपुर एवं धौलपुर के जाट समुदाय के अभ्यर्थियों को पिछड़ा वर्ग में आरक्षण दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक पत्र दिनांक 27.01.2018 के बिन्दु 3 के क्रम में नियमों/अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्तियों के प्रकियाधीन/भर्ती प्रकिया पूर्ण होने के संबंध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है :–

(i) एस.बी.सिविल कनटेम्प्ट रिट पिटिशन नं. 330/2018 – मुकेश कुमार एण्ड अदर्स बनाम गिरिराज सिंह कुशवाहा, सचिव एण्ड अदर्स में मा0 उच्च न्यायालय जयपुर, के निर्णय दिनांक 02.05.2018 की पालना में स्पष्ट किया जाता है कि नियमो/अधिसूचनाओं के प्रावधान भर्तियों में लागू होने के परिप्रेक्ष्य में उन भर्तियों को पूर्ण मान लिया जाएगा जिनमें अभिस्तावना प्राप्त होने के उपरांत उनमें से यदि किसी एक अभ्यर्थी का भी नियुक्ति आदेश जारी किया जा चुका है, उस भर्ती की शेष रही नियुक्तियों के लिए वही नियम/अधिसूचनाओं के प्रावधान इत्यादि लागू रहेंगें जो प्रथम नियुक्ति आदेश के समय लागू थे।

(ii) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23.08.2017 जिसके द्वारा भरतपुर एवं धौलपुर जाटों को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है, उसे जारी होने की तिथि से तुरन्त प्रभाव से लागू किया गया है।

अतः निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा लिए गए उपर्युक्त निर्णयानुसार कृपया भर्ती में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(सुनील शर्मा) 17/5/2018
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को भिजवाकर निदेशानुसार लेख है कि कृपया आपसे संबंधित भर्तियों में तदनुसार कार्यवाही करने का श्रम करावें।

संयुक्त शासन सचिव 17/5/2018

22/2018